Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी मन्नू उर्फ मोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त मन्नु उर्फ मोनू पुत्र विरेन्द्र निवासी पट्टी शेखा वाजिदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में वादी नरेशपाल पुत्र शिवराज सिंह निवासी पट्टी शेखा वाजिदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत के भाई प्रवीण उर्फ प्रवेन्द्र की गला घोटकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 474/2019 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 25.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मन्नू उर्फ मोनू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अशोक सैनी एडीजीसी

का0 प्रवीण कुमार कोर्ट पैरोकार

विवेचक-निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह(तत्कालीन थाना प्रभारी बड़ौत)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम चोरी की हुई बाइकों के सामान का व्यापार करने के आरोपी वज्जू उर्फ वाजिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त वज्जू उर्फ वाजिद पुत्र सिराजुद्दीन निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना बड़ौत बागपत जनपद बागपत द्वारा चोरी की हुई बाइकों के सामान का व्यापार करने घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 721/2022 धारा 413 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 25.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त वज्जू उर्फ वाजिद को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के करावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी

अमित खोखर एडीजीसी

है0का0 राजकुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 25.7.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आसिफ उर्फ शारूख पुत्र रफीक नि0 रेती वाला मौहल्ला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- हे0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- हे0का0 475 करतार सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत दिनांक 25.07.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 458/25 धारा 305 (a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए कुल 07 मोबाईल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री कर्मवीर पुत्र प्रकाशे निवासी ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से 04 मोबाइल फोन 1.ओप्पो 2. सैमसंग 3. पो0को0 MG 5G 4. रेड मी 10 प्रो व वादी के ही गाँव के अन्य व्यक्ति अर्जुन तोमर पुत्र दयानन्द सिंह के घर से भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 03 फोन 1. रेडमी नोट 14 5G 2.ओप्पो A54 3. कीपैड फोन MONIX चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 458/25 धारा 305(a) पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 458/25 धारा 305 (a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए कुल 07 मोबाईल फोन बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निशान्त पुत्र नरेश निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- ओप्पो
- सैमसंग
- पो0को0 MG 5G
- रेड मी 10 प्रो
- रेडमी नोट 14 5G
- ओप्पो A54
- कीपैड फोन MONIX

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
2.उ0नि0 श्री सिद्धार्थ सक्सेना थाना बडौत जनपद बागपत ।
3.है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत ।
4.का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर   दिनाँक 25.07.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 13 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को थाना चांदीनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टुकाली में दो पक्षों प्रथम पक्ष- 1.राहुल पुत्र विष्णु, 2. सतपाल शर्मा पुत्र रघुवर दयाल शर्मा, 3. हर्ष पुत्र महेशदत्त शर्मा, 4.आदर्श पुत्र सतपाल शर्मा समस्त निवासी गण ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत, 5. दीपाशु पुत्र रणवीर, 6. राज पुत्र विरेन्द्र निवासी गण बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व द्वितीय पक्ष- 7. अर्जुन पुत्र श्यामवीर, 8. विनीत पुत्र श्यामवीर निवासीगण ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत, 9.तरूण पुत्र शौकेन्द्र, 10.बादल पुत्र देवेन्द्र निवासीगण बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, 11. अभिषेक पुत्र राकेश निवासी ग्राम फुलैरा थाना चांदीनगर जनपद बागपत व (अन्य) 12. पुष्पेन्द्र, 13. भूषण पुत्रगण रामशरण, 14. रोहित पुत्र बल्ले, 15. भूरू पुत्र प्रेमराज, 16. पवन, 17. रविन्द्र पुत्रगण पप्पन, 18. गंगाशरण पुत्र रघुवर दयाल शर्मा, 19. प्रशान्त पुत्र गंगाराम शर्मा, 20. शिवा पुत्र गंगाराम, 21. अतुल पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा, 22. गौरव पुत्र सतपाल शर्मा, 23. अर्जुन पुत्र चुन्नु शर्मा, 24. निशान्त शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा, 25. रामपाल शर्मा पुत्र स्व0 वेदपाल शर्मा समस्त निवासी गण ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा आपस में अध्धा रोडा

व हाथों में लाठी-डण्डा लेकर झगडा फसाद कर रहे हैं। सूचना पर थाना चांदीनगर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस व जनता के व्यक्तियों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया किन्तु दोनों पक्ष और अधिक उत्तेजित होकर एक दूसरे पर अक्रामक होकर झगडा फसाद करने लगे, जिससे गांव की आम जनता में भय व अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। इस संबध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 13 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.राहुल पुत्र विष्णु निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत।
2.सतपाल पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत।
3.हर्ष पुत्र महेशदत्त निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत।
4.आदर्श पुत्र सतपाल निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत।
5.दीपाशु पुत्र रणवीर निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
6.राज पुत्र विरेन्द्र निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
7.अर्जुन पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
8.विनीत पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत
9.तरूण पुत्र शौकेन्द्र निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
10.बादल पुत्र देवेन्द्र निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
11.अभिषेक पुत्र राकेश निवासी ग्राम फुलैरा थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
12.निशान्त पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर बागपत।
13.रामपाल पुत्र स्व0 वेदप्रकास निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
4-है0का0 186 इमरान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
5-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
6-है0का0 617 भरत सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत
7-म0उ0नि0 दृष्टि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
8-का0 957 पवन कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
9-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 25/07/2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विट्टू उर्फ विरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी किरोशिया पट्टी कस्बा व थाना दोघट बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **01 अवैध चाकू।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-है0का0 634 योगेन्द्र थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 783 हिमांशू थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 25.07.25

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

कपिल पुत्र रामनिवास निवासी मौहल्ला घासमण्डी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।